UPUN010047042022

न्यायालय Addl. District Judge Court No. 1, Unnao

पीठासीन अधिकारी– (Alpana Saxena), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP**05986

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2506 / 2022

फज्जी उर्फ फैज फैजुद्दीन उर्फ फरहान पुत्र मो0 यूसुफ

निवासी 261 / 22 सराय आगामीर थाना बाजारखाला जिला लखनऊ

.....प्रार्थी / अभियुक्त

प्रति

उत्तर–प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता आपराधिक,उन्नाव.....विपक्षी

मु0अ0सं0–312 / 2020
धारा–3 / 5 / 8 गोवध निवारण अधिनियम
व 307 भा0द0सं0
थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

09.11.2021

यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक / अभियुक्त फज्जी उर्फ फैज फैजुद्दीन उर्फ फरहान की ओर से मु0अ0सं0–312 / 2020 धारा–3 / 5 / 8 गोवध निवारण अधिनियम व 307 भा0द0सं0 थाना अजगैन जनपद उन्नाव में प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदक / अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।

संक्षिप्ततः फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक 10.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मय हमराह आरक्षी देवेन्द्र कुमार मय बुलेरो सरकारी नम्बर यू0पी0 35 जी–0410 प्रधान आरक्षी फैयाज अली के साथ थाने से रवाना होकर बिनावर रात्रि गश्त चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वाहन रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर होकर ग्राम नवई तिराहे पर मौजूद थे। थोड़ी देर में स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह व सर्विलांस प्रभारी उपनिरीक्षक फिरोज खान मय हमराह गण मय टाटा सूमो गाड़ी नं0 यू0पी0 35 जी–0403 व चौकी प्रभारी दही चौकी उपनिरीक्षक प्रेम नरायन सरोज मय हमराह गण के साथ प्राइवेट गाड़ी लिए जिनमें क्षेत्र के अपराध अपराधियों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम फिरोजाबाद में सलमान अपने भाईयों के साथ मिलकर लखनऊ से लोगों को बुलाकर अपने हाते में अन्ना गोवंशी पशुओं को बांधा है तथा काटकर गाड़ियों से लखनऊ भेजने के लिए ले जा रहे हैं। जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पर विश्वास कर क्षेत्र में मामूर उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार यादव मय हमराहीगण एवं उपनिरीक्षक इरफान अहमद मय हमराहीगण को तलब किया गया तथा सभी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए आसनाय राह जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया परन्तु नावक्त होने के कारण एवं भलाई बुराई की वजह से कोई साथ चलने को तैयार नहीं हुआ जिस पर पुलिस पार्टी ने एक दूसरे की जामातलाशी ले देकर इत्मिनान किया गया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है

तत्पश्चात मय प्रभारी निरीक्षक मय समस्त पुलिस बल को साथ लेकर मुखबिर के साथ उसके बताये हुये स्थान की तरफ आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलकर मुखबिर के कहने पर गाड़ी व मोटरसाइकिल की लाइटें बन्द कके किनारे खड़ी करके गाड़ियों से उतरकर मुखबिर के साथ समस्त मौजूद पुलिस बल के साथ पैदल आगे बढ़े तथा जहां सलमान का हाता था, के करीब पहुंचकर मुखबिर ने थोड़ी दूर से इशारा करके बताया कि वही वह स्थान है जहां गाड़ी की धीमी लाइटें जल रही हैं, जहां गोवंशी जानवर काटकर गाड़ी में लादा जा रहा है और मुखबिर चला गया। पुलिस वाले छिपते छिपाते नजदीक पहुंचे कि पुलिस वालों की आहट सुनकर गाड़ियों के पास मौजूद लोग पुलिस वालों पर फायरिंग करने लगे जिस पर जवाबी फायरिंग करने पर गौकशी करने वाले बदमाश भागने लगे कि एक बदमाश के बांये पैर में गोली लगी जो गिर गया जिसे पकड़ लिया गया। अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहे। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूंछने पर अपना नाम फैसला उर्फ फैजल बताया। इसी पकड़े हुये व्यक्ति ने भागे हुए साथियों में सलमान उर्फ सूफियान व जीशान का नाम बताया। पुलिस बल द्वारा मौके पर 6 गोवंशीय पशुओं को काटा हुआ देखा गया तथा हाते के अन्दर गोवंशीय पशुओं की चर्बी, 3 अदद कुल्हाड़ी, 11 अदद छूरी, एक अदद सूजा, 2 तौलने की मशीन, 9 अदद रस्सी बरामद हुयी एवं हाते के बाहर सेन्ट्रो गाड़ी नम्बर यू0पी0 32 बी बी–9000 को खोलकर देखा गया तो गाड़ी के अन्दर चालक सीट के पीछे गोवंशीय पशुओं के मांस व पैर को लादा गया पाया गया। मौके पर फर्द बरामदगी तैयारकर हमराहियान के व अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये गये तथा बरामद माल को अलग अलग सर्वमोहर किया गया तथा अभियुक्त को मय माल के थाने लाकर मुकदमा कायम कराया गया।

आवेदक/अभियुक्त की तरफ से जमानत आधारों का उल्लेख करते हुए मुख्य रूप से तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। किसी भी पुलिस कर्मी को कोई फायर आर्म्स की चोट नहीं है। वह दिनांक 10.11.20 से जिला कारागार में निरूद्ध है तथा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई। आवेदक/अभियुक्त सहअभियुक्त सूफियान व जीशान की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 307 भा0द0सं0 थाना अजगैन जिला उन्नाव का मामला लम्बित है। उपरोक्त मामले से संबंधित सहअभियुक्त के पास से 6 गोवंशीय पशुओं की चर्बी व कुल्हाड़ी एवं छूरी आदि सामान बरामद हुआ है।

अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में सहअभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है परन्तु अभियुक्त फैजी उर्फ फैज उर्फ फैजुद्दीन के संबंध में थाने से निम्नलिखित आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ हैः–

1. मु0अ0सं0 429/2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 419,420,467,468,471 भा0द0सं0 थाना निगोहा जिला लखनऊ

2. मु0अ0सं0 172/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना माल जिला लखनऊ।

3. मु0अ0सं0 181/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ।

4. 92/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना माल जिला लखनऊ

उपरोक्त के अतिरिक्त स्वयं अभियुक्त की ओर से मु0अ0सं0 173/2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना असोहा जिला उन्नाव तथा मु0अ0सं0 194/2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सोहरामऊ जिला उन्नाव में पारित जमानत आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं। उपरोक्त से प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध गोवध निवारण अधिनियम की धाराओं में अनेक मुकदमें दर्ज हैं। अभियुक्त उपरोक्त अपराध करने का आदी है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त फैजुद्दीन उर्फ फज्जी द्वारा मु0अ0सं0–312/2020 धारा–3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 307 भा0द0सं0 थाना अजगैन जनपद उन्नाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(अल्पना सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–1,उन्नाव
09.11.2022